APP-A
Orim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/126

जज अदालत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग बनाम मनोज कौशिक पुत्र राजकुमार कौशिक

किस्म मुकदमा एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 नं. 07 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सिहाग द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य अधिकारी उप.। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील की दिनांक 8/7/22 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं	
8/7/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। ~~पत्रावल~~ अप्रार्थी स्वंय उपस्थित होकर जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19/7/22 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं	
19/7/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप, पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29/7/22 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित जबाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह अपने प्रतिष्ठान उपहार सुपर मार्केट, मण्डावा मोड़ झुन्झुनू में खुली दाल का बेचान करता था जिसका सैम्पल मिस ब्राडेन्ड पाया गया है। अब उसने खुली दाल का बेचान बन्द कर दिया है। अनावेदक ने दाल में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./507/एक्ट/2021/568 दिनांक 06.04.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ खुली दाल मिस–ब्राडेन्ड (Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) एवं धारा 31 (i) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 उपहार सुपर मार्केट, मण्डावा मोड़ झुन्झुनू में खुली दाल का बेचान करता है तथा अनावेदक फर्म का मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ खुली दाल मिस–ब्राडेन्ड (Misbranded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री मनोज कौशिक पुत्र श्री राजकुमार कौशिक, मै0 उपहार सुपर मार्केट, मण्डावा मोड़ झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 31 (i) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 6000/– छः हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested